

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या-वन भूमि-16/2017-

व0प0, राँची, दिनांक-

प्रेषक

सुनील कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

विषय :- मेसर्स रामचन्द्र मेहता, कैप्टन आनन्द, अपर्णा देवी द्वारा हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अंतर्गत करमा स्टोन मार्इनिंग प्रोजेक्ट हेतु कुल-14.17 हे0 मात्र अधिसूचित वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-448 दिनांक-08.06.2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि निम्नलिखित बिन्दुओं के आलोक में प्रतिवेदन/अभिलेख अपेक्षित है :-

- (क) प्रस्ताव के पार्ट-I की कंडिका-B-2.4 में Component wise break up के कॉलम में तथा कंडिका-M-1(c) में खनन पट्टा के अंदर अवस्थित वनभूमि के रकबा में सुधार करने की आवश्यकता होगी।
- (ख) वन संरक्षक, हजारीबाग, प्रादेशिक अंचल के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में प्रस्तावित वनभूमि के उत्तर में अवस्थित Water body के लिए सेप्टीजोन 15 मीटर करते हुए Component wise break up में सुधार आवश्यक होगा।
- (ग) क्या यह Site specific project है ?

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में वांछित प्रतिवेदन/अभिलेख यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(सुनील कुमार)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-वन भूमि-16/2017- **3105** व0प0, राँची दिनांक- **27/07/17**

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची को प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव